16/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर। पक्षकारान की बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खत्म हो। शामिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/7/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner